मरूधर महिला शिक्षण संघ

विद्यावाड़ी (खीमेल) स्टे.-रानी

जिला-पाली (राज.)

सोसायटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड

नं. 43/58–59

आयकर की धारा 12 (ए) में पंजीकृत

नं. संस्थान/106/77/जोधपुर

॥ सा विद्या या विमुक्तये ॥

संविधान

(27–10–2001 तक संशोधित)

☎ 02934–222035, 222036

मरूधर महिला शिक्षण संघ

(सोसायटी एक्ट 1860के अन्तर्गत रजिस्टर्ड, नं. 43/58–59)

(आयकर की धारा 12 (ए) में पंजीकृत नं. संस्थान /106/77–जोधपुर)

का

संविधान

1– संस्थान का नाम – मरूधर महिला शिक्षण संघ होगा।

2– संस्थान का रजिस्टर्ड कार्यालय व स्थान विद्यावाडी,खीमेल, स्टे, रानी जिला–पाली,राजस्थान राज्य में होगा।

3– संस्था की कियाशीलता का क्षेत्र राजस्थान होगा तथा शाखाएं भारत के किसी भी प्रान्त में खोली जा सकती है।

4– (अ) उद्देश्य – नारी शिक्षा के विकास हेतु आवासीय विद्यालय की स्थापना करना व लाभ रहित संचालन करना।

(आ) साधन – उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था निम्नांकित साधनों को अपनाएगी।

चन्दा,दान,आर्थिक व अन्य सहायता,स्थानीय,राज्य व केन्द्रीय सरकारों से स्वदेशी एवं विदेशी व अन्य संस्थाओं से ऋण तथा अनुदान के रूप में स्वीकार करना। संस्था को आवश्यकता या सुविधा के लिए जमीन जायदाद व्यक्तियों से साधन व सुविधाएं आदि खरीदना अथवा पट्टे पर लेना अथवा विनिमय या किराये अथवा दान के रूप में प्राप्त करना । संस्था की सम्पत्ति में से जमीन जायदाद या सामग्री के पूरे भाग या अंश को बेचना,सुधारना या अन्य प्रबन्ध करना। संस्था की चल और अचल सम्पत्ति तथा अन्य आय व बचत किसी भी रूप में सदस्यों में वितरण न की जाकर उपरोक्त उद्देश्य में ही व्यय की जाएगी । संस्था के उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य आवश्यक हों उसे सम्पन्न करना ।

5– संस्था की कार्यशीलता का प्रबन्ध कार्य समिति को सौंपा जाएगा, जिसका संविधान संस्था की नियमावली में किया गया है।

–: मरूधर महिला शिक्षण संघ के नियमोपनियम :–

1– परिभाषा :–

(अ) संस्था का अर्थ होगा – मरूधर महिला शिक्षण संघ, विद्यावाडी,खीमेल,स्टे.–रानी (जिला–पाली) राजस्थान

(आ) समिति का अर्थ होगा – कार्य समिति।

(इ) सभा का अर्थ होगा – सर्व साधारण सभा (जनरल सभा)

(ई) राजस्थानी का अर्थ होगा – राजस्थान में रहने वाले व राजस्थान से बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानी

(उ) सदस्यता की श्रेणी में धारा 2 की उपधारा (1) के अनुसार सदस्य होंगे।

2- सदस्यता :-

(1) कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकता है। जो:-

(अ) 18 वर्ष से अधिक की आयु का हो।

(आ) संस्था के उद्देश्यों को मान्य करता हो।

(इ) निश्चित पत्र (फार्म) पर सदस्यता के लिए लिखित प्रार्थना करें। व दो कार्य समिति के सदस्य अभिशंषा करते हों।

(ई) किसी ऐसी संस्था का सदस्य न हो जिसके उद्देश्य,नियम संस्था के उद्देश्य व नियमों से मेल न खाते हो ।

(उ) उसे सदस्य बनाने की स्वीकृति कार्यसमिति ने दी हो ।

(ऊ) उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति रूपये 11000/- शुल्क जमा करवाकर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

(ए) संस्था के हित के लिए कार्य-समिति अपने अवधिकाल तक के लिए किसी भी महानुभाव को निःशुल्क विशेष सदस्य बना सकेगी जिनकी संख्या समिति की कुल संख्या के दशांश से अधिक नहीं होगी ।

(2) संस्था के सदस्यों का एक पत्रक रखा जाएगा जिसमें उनका नाम व पता, धन्धे आदि का विवरण होगा।

नोट :- 1- किसी विशिष्ट कार्य के लिए दी गई धनराशि दानदाता को संस्था की सदस्यता का अधिकार नहीं दे सकेगी।

2- संस्था के वेतनभोगी कर्मचारी संस्था के सदस्य नहीं बन सकेंगे।

3. सदस्यता की समाप्ति -

निम्न अवस्थाओं में सदस्यता से पृथक समझा जाएगा:-

(अ) मृत्यु हो जाने पर (आ) पागल हो जाने पर (इ) समिति व संस्था द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर (ई) साधारण सभा द्वारा बहुमत से सदस्यता से वंचित कर दिये जाने पर।

4. साधारण सभा,उनका गठन व क्षमता :-

(अ) संस्था के सर्व सदस्यों की एक साधारण सभा होगी,जो संस्था के सर्व चल, अचल सम्पत्ति की संरक्षक होगी तथा संस्था के सर्व कार्य के लिए सर्वपरि सर्वाधिकार युक्त और सम्पूर्ण जिम्मेदार होगी, समय-समय पर संस्था की कार्य नीति निश्चित करेगी तथा कार्य-समिति की मार्फत संस्था का संचालन व कार्य व्यवस्था करेगी। कार्यसमिति के पदाधिकारी साधारण सभा के पदाधिकारी भी होंगे।

(आ) साधारण सभा की बैठकें :-

साधारण सभा की बैठकें दो प्रकार की होगी ।

(1) वार्षिक बैठक (2) विशेष बैठक

मंत्री कम से कम एक मास पूर्व सूचना देकर बैठक बुलायेंगे विशेष बैठक बुलाने के लिए यह अवधि पन्द्रह दिन की पर्याप्त होगी ।

(इ) साधारण सभा की वार्षिक बैठक : -

(क) साधारण सभा की वार्षिक बैठक मई मास में अथवा उसके आस-पास या उत्सव के समय या अन्य सुविधानुसार समय पर बुलाई जाएगी जिसमें निम्नलिखित व अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न होंगे:-

1. संस्था के वार्षिक विवरण व लेखा निरीक्षक द्वारा पास किये गये हिसाब विवरण पर स्वीकृति देना।
2. संस्था की वार्षिक योजना व बजट पास करना।
3. संस्था के अध्यक्ष व कार्य समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना
4. लेखा निरीक्षक की नियुक्ति करना।

(ख) उपरोक्त बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-समिति या संस्था के किसी सदस्य द्वारा बिना पूर्व सूचना के पेश किए प्रस्ताव पर विचार व निर्णय हो सकेगा।

(ग) बैठक की कार्यवाहक संख्या,संस्था के कुल सदस्यों का एक तिहाई या इकत्तीस,जो भी कम हो,होगी सूचना देकर बुलाई गई स्थगित बैठक के लिए कार्यवाहक संख्या की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ई) साधारण सभा की विशेष बैठक:-

1. कार्य समिति के आवश्यक समझने पर या कम से कम 21 सदस्यों द्वारा लिखित मांग की जाने पर नियमानुसार साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी ।
2. उपरोक्त बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-समिति या संस्था के किसी सदस्य द्वारा बिना पूर्व सूचना के पेश हुए प्रस्ताव पर भी विचार व निर्णय हो सकेगाा ।
3. बैठक की कार्यवाहक संख्या का नियम भी वही होगा जो वार्षिक बैठक का है ।

(उ) सभा की बैठक की कार्यवाही पत्रक में लिखी जायेगी जिस पर मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। जब आगामी बैठक इस कार्यवाही को सही होना स्वीकार कर लेगी,तब अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

5. कार्य समिति,उनका गठन व क्षमता :-

(अ) संस्था के संचालन व कार्य व्यवस्था के लिए पदेन सदस्यों के अतिरिक्त 31 (इकत्तीस) सदस्यों की एक कार्य समिति हागी, जिसका गठन निम्न प्रकार से होगा।

(1) अध्यक्ष व इक्कीस सदस्य साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किए जाऐंगे।

(2) अध्यक्ष व इक्कीस निर्वाचित सदस्य किन्हीं नौ सदस्यों को कार्य-समिति के लिए को-ऑप्ट कर सकेंगे जिनमें कम से कम दो महिलायें अवश्य होंगी ।

(3) व्यवस्थापिका व विद्यापीठ की प्रधान कार्य-समिति की पदेन सदस्य होगी।

(4) पूरे कार्यकाल तक काम किए हुए भूतपूर्व अध्यक्ष कार्य-समिति के पदेन सदस्य आगामी एक और कार्यकाल तक होंगे बशर्त कि वे संस्था के सदस्य हों।

(आ) समिति अपने सदस्यों में से चार उपाध्यक्ष,एक मंत्री,दो सहमंत्री और एक कोषाध्यक्ष व एक सह–कोषाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(इ) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा किन्तु जब तक दूसरी समिति का चुनाव न हो, तब तक काम करती रहेगी। कार्यकाल में जो स्थान रिक्त होगा, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कार्य–समिति नियमानुसार नियुक्ति कर सकेगी।

(ई) किन्ही कारणों से चुने हुए सात या सात से अधिक सदस्य एक साथ त्याग–पत्र दें, तो कार्य–समिति साधारण सभा की विशेष बैठक उनके त्याग–पत्रों पर विचार करने के लिए बुलायेगी।

(उ) समिति की बैठकें:–

(1) समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होगी जिनका अन्तरकाल दो महिने से कम नहीं होगा।

(2) समिति की बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व मंत्री सदस्यों को सूचना भेजेंगे। अतिआवश्यक कार्य के लिए यह अवधि कम से कम पूरे पांच दिन की होगी ।

(3) सात सदस्यों द्वारा लिखित मांग की जाने पर मंत्री कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देकर विशेष बैठक बुलायेंगे।

(4) समिति की कार्यवाहक संख्या (कोरम) नौ सदस्यों की होगी । कोरम के अभाव में सूचना देकर बुलाई गई स्थगित बैठक के लिए कार्यवाहक संख्या का बन्धन नहीं होगा।

(5) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण एक कार्यवाही पत्रक में लिखा जायेगा। जिस पर मंत्री के हस्ताक्षर होंगे जब आगामी बैठक इस कार्यवाही को सही होना स्वीकार कर लेगी अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ऊ) समिति की क्षमता व कार्य :–

(1) चुनाव की पद्धति निश्चित कर उसके अनुसार चुनाव करना ।

(2) संस्था के लिए अर्थ संग्रह करना और पूंजी व जायदाद की व्यवस्था करना।

(3) संस्था का वार्षिक विवरण व हिसाब प्रकाशित करना।

(4) आवश्यकतानुसार उप समितियाँ नियुक्त करना तथा उसकी कार्य पद्धति निश्चित करना।

(5) साधारण सभा की वार्षिक व विशेष बैठक बुलाना ।

(6) साधारण सभा को लेखा–निरीक्षक की नियुक्ति करने के लिए नामों का सुझाव देना।

(7) संस्था के विविध कार्यों के लिए नियम,उपनियम बनाना व उसमें समयानुसार परिवर्तन करना।

(8) विद्यापीठ के अध्यापकों /अध्यापिकाओं व अन्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य नियुक्तियाँ करना,नियुक्त व्यक्तियों का स्थिरीकरण करना, उन्हें हटाना, वेतन निश्चित करना व वृद्धि करना और विद्यावाडी में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं निर्धारित करना व जुटाना।

6. विद्यापीठ की प्रबन्ध समिति :–

(अ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं का संचालन उनकी प्रबन्ध समिति द्वारा होगा जिसका गठन राजस्थान सरकार के नियमानुसार कार्य समिति द्वारा होगा और प्रबन्ध समिति का कार्यकाल वहीं होगा जो संस्था की कार्यसमिति का होगा।

(आ) प्रबन्ध समिति के 15 सदस्य होंगे जो इस प्रकार चुने जायेंगे।

(1) 5 (पांच) सदस्य दानदाताओं में से होंगे।

(2) विद्यापीठ की एक भूतपूर्व छात्रा।

(3) एक सदस्य संचालक,शिक्षा विभाग द्वारा मनोनित होगा।

(4) एक सदस्य विद्यापीठ में पढनें वाली छात्राओं के अभिभावकों में से होगा जो कि संस्था की कार्यसमिति द्वारा मनोनीत होगा।

(5) कम से कम एक प्रतिनिधि अध्यापिकाओं का होगा जो उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा।

(6) 6 अन्य सदस्य होंगे जिसमें से एक संस्था का मंत्री होगा।

नोट :– दो तिहाई से अधिक सदस्य किसी एक जाति के नहीं होंगे।

(इ) प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. सभापति– संस्था का अध्यक्ष ही कार्यसमिति द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
2. उप–सभापति– यह कार्यसमिति द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
3. दूसरा उपसभापति– व्यवस्थापक का कार्य भी करेगा और कार्य समिति के सदस्यों में से होगा।
4. कोषाध्यक्ष–संस्था की कार्यसमिति का कोषाध्यक्ष इस प्रबन्ध समिति का भी कोषाध्यक्ष होगा।
5. सचिव– कार्यसमिति द्वारा मनोनीत होगा।

7. प्रबन्ध समिति के कार्य व अधिकार :–

(1) विद्यापीठ और उससे सम्बन्धित सभी संस्थाओं में शिक्षण का समुचित प्रबन्ध करना व अन्य शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ चलाना।

(2) विद्यापीठ व तत्सम्बन्धी संस्थाओं के वार्षिक खर्च का अनुमान पत्र स्वीकार करके उस पर कार्यसमिति की स्वीकृति लेना । दोनों में मतभेद होने पर कार्यसमिति का निर्णय ही अन्तिम होगा।

(3) अपने क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं का वार्षिक हिसाब कार्यसमिति को ऑडिट करवाने के लिए यथा समय देना।

(4) राजस्थान सरकार व केन्द्रीय सरकार से विद्यापीठ के लिए सहायता और सुविधाएं प्राप्त करना। ऐसी सहायता का नियन्त्रण प्रबन्ध समिति ही करेगी ।

(5) विद्यापीठ के वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति,अलहदगी,वेतन निर्धारण व वृद्धि ,स्थिरीकरण करना व छात्राओं व अध्यापिकाओं सम्बन्धी सभी समस्याओं पर विचार करना व निर्णय लेना।

(6) कार्यवाहक संख्या दो तिहाई अर्थात 5 होगी जिसमें पदेन सदस्यों से अतिरिक्त दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । स्थगित बैठक के लिए पदेन सदस्यों के अलावा एक पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगीं।

8. पदाधिकारियों के कर्तव्य व कार्य :-

(क) अध्यक्ष :-

(1) साधारण सभा की बैठकों व कार्यसमितियों की बैठकों का सभापतित्व करना।

(2) सभा की कार्यवाही का संचालन करना।

(3) कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर करना।

(4) मतदान होने पर निर्णय व समान मत होने पर अपना विशेष मत देकर निर्णय देना।

(ख) उपाध्यक्ष :-

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा का संचालन करना।

(2) अध्यक्ष के आदेश से संस्था का अध्यक्ष पद का काम या प्रतिनिधित्व करना।

(ग) मंत्री :-

(1) साधारण सभा की बैठकें तथा कार्यसमिति की बैठकें बुलाना,बैठकों का विवरण लिखना व आगामी बैठक में पेश करना।

(2) संस्था,साधारण सभा व कार्यसमिति की तरफ से पत्र व्यवहार करना।

(3) संस्था के कार्यों की गतिविधि से सम्पर्क रखना व देख रेख रखना।

(4) कार्यसमिति व साधारण सभा द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करना।

(घ) सहमंत्री :-

(1) मंत्री की सूचनानुसार कार्य करना एवं मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री के सभी अधिकार सहमंत्री को होंगे।

(ड.) कोषाध्यक्ष :-

(1) संस्था का व्यवस्थित हिसाब किताब रखना व रखवाना एवं बजट बनाना व पेश करना।

(2) संस्था के वार्षिक हिसाब का निजी ऑडिट करना और उसके आधार पर वित्त विवरण तैयार करना।

(3) कार्यसमिति द्वारा पास किये गये खर्चों के लिए भुगतान करना व करवाना।

(4) रसीद पावती आदि पर सही करना व अपनी देख–रेख में कार्य करवाना।

(आ) सहकोषाध्यक्ष :- कोषाध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना।

(च) प्रबन्ध समिति के सभापति,सचिव व कोषाध्यक्ष संस्था के अध्यक्ष,मंत्री व कोषाध्यक्ष ही होंगे अतः उनके वही अधिकार व कतर्व्य होंगे जो धारा 8(क) (ग) व (ड.)में वर्णित है । उप सभापति भी धारा 8 (ख) के अनुरूप कार्य करेगा।

(छ) व्यवस्थापक (प्रबन्धक) जो कार्यसमिति का भी सदस्य होगा,के ये अधिकार व कर्तव्य होंगे।

(1) विद्यापीठ व उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं को मरूधर महिला शिक्षण संघ की नीति व उद्देश्यों के अनुसार चलाना।

(2) छात्राओं अध्यापिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाना व कार्यसमिति से उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना।

(3) अध्यापिकाओं के वेतन पत्रों में भुगतान की अनुमति देना एवं कोषाध्यक्ष से रकम दिलवाना।

(4) विद्यापीठ व उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं से खर्चे के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार बैंक से रकम उठाकर भुगतान करना।

(5) प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत बजट में से सरकारी सहायता के अतिरिक्त खर्चे की शेष रकम कार्यसमिति से प्राप्त करना ।

(6) संस्था और विद्यापीठ के बीच सम्पर्क का सभी कार्य व्यवस्थापक करेगा।

9. वित्त व्यवस्था :-

(अ) संस्था का कोष निम्न प्रकार संचित होगाः–

(1) सदस्यों द्वारा सहायता या शुल्क।

(2) जनता,गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा दान।

(3) आर्थिक सहायता देने वाली संस्थाओं,स्थानीय संस्थाओं,राज्य तथा केन्द्रीय सरकार तथा व्यक्तियों द्वारा ऋण लेकर।

(4) स्थानीय संस्थाओं तथा स्वदेशी एवं विदेशी संस्थाओं ,राज्य तथा केन्द्रीय सरकार एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा सहायता तथा अनुदान।

(आ) साधारण सभा द्वारा स्वीकृत आय व्यय पत्र (बजट) की मर्यादा में रहते हुए कोष में से खर्च करने का एवं किसी के साथ अपनी ओर से आर्थिक रूप में वचनबद्ध होने का अधिकार समिति को होगा।

(इ) संस्था का वितीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च होगा।

(ई) संस्था की वितीय व्यवस्था के लिए समिति समय–समय पर नियम उपनियम बनायेगी और उसके अनुसार व्यवस्था करेगी।

(उ) संस्था की पूंजी का निवेश संस्था के नाम से कार्य समिति द्वारा निश्चित की हुई बैकों में तथा सरकारी बॉण्ड व सिक्योरिटीज में तथा स्थावर मिल्कियत में किया जायेगा।

10. हिसाब किताब :-

(अ) संस्था का हिसाब –किताब नियमानुसार रखा जायेगा तथा उसे प्रतिवर्ष नियमानुसार नियुक्त रजिस्टर्ड चार्टड एकाउन्टेन्ट से जंचवाना होगा।

(आ) संस्था के तमाम हिसाब–किताब रखने ,आय व्यय की रकम प्राप्त करने एवं देने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी।

(इ) संस्था के हिसाब –किताब का निरिक्षण कोई भी सदस्य,अध्यक्ष या मंत्री की लिखित अनुमति से कर सकेगा व रजिस्ट्रार (संस्थाए) पाली को संस्था का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

11. संविधान संशोधन :-

(अ) सभा की वार्षिक बैठक अथवा इस कार्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई मतों के अनुसार हो सकेगा। जब कभी संविधान संशोधन करना आवश्यक हो तो ऐसी बैठकों की कार्यवाहक संख्या (कोरम) संस्था के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 या 31 इनमें से जो भी कम हो, होना अनिवार्य है और यह कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 ई० की धारा 12 के अन्तर्गत होगी।

(आ) संशोधन के लिए प्रत्येक सदस्य को बैठक होने के 30 दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

12. संस्था का विघटन :-

संस्था के विघटन हो जाने की अवस्था में तमाम कर्ज व लेन देन के हिसाब किताब के चूकता करने के पश्चात् जो भी रकम शेष रह जायेगी, वह न तो संस्था के सदस्यों में अथवा किसी एक सदस्य को चुकता ही अदा की जाएगी और न बांटी जायेगी, बल्कि उसका वितरण साधारण सभा की बैठक में बहुमत से तय कर समान उद्देश्य वाली संस्था या संस्थाओं को दे दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की धाराएँ13 व 15 के अन्तगर्त होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) मरूधर महिला शिक्षण संघ, विद्यावाडी की सही प्रतिलिपी है।

अध्यक्ष
म.म.शि.संघ, विद्यावाडी

मंत्री
म.म.शि.संघ, विद्यावाडी